रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20122025-268670
CG-DL-W-20122025-268670

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 14—दिसम्बर 20, 2025, शनिवार/अग्रहायण 23—अग्रहायण 29, 1947
No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 14—DECEMBER 20, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA 23—AGRAHAYANA 29, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय

(वन स्थापना प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 200.—भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 जहां तक वे उप रेंजर के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने से लोप की गई हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण में उप रेंजर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वन सर्वेक्षण (उप रेंजर) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे किसी व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल देने की शक्ति.- जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और उसके कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में छूट दे सकेगी।

6. व्यावृति.- इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप रेंजर	60* (2025)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4. (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती हो या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में चालीस वर्ष तक छूट दी जा सकती है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता; और	नहीं।	दो वर्ष।	पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा तथा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणन 1. - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है) । **टिप्पणन 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय ने नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा हो।	राज्य वन विभाग में वन सर्वेक्षण या कार्य योजना संगठन या वन संसाधन सर्वेक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव; या (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में विज्ञान स्नातक।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?**	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 2 में मैट्रिक पास फील्डमैन जिसने उस ग्रेड में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ii) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 2 में गैर-मैट्रिक फील्डमैन, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और यह महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा निर्दिष्ट लिखित और ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन है। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति पुष्टीकरण समिति (प्रोन्नति या पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून -अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून -सदस्य; 3. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून – सदस्य; 4. अवर सचिव, वन स्थापना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-सदस्य।	लागू नहीं होता

सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा या दो वर्ष की सेवा, इनमें से जो भी कम हो, पूरी की हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[ई. सं. 232414, फा.सं.9-1/2024-एफई]

सुलग्न साहा, अवर सचिव (वन स्थापना)

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE

(Forest Establishment Division)

New Delhi, the 9th December, 2025

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Forest Survey of India (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to the post of Deputy Ranger, expect as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Ranger in the Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Forest Survey of India (Deputy Ranger) Recruitment rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and level in the pay matrix. - The number of the said post, its classification, level in pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provide that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving. -Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Section, the Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Ranger.	60* (2025) * Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C,' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether the age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates up to 40 years.) **Note 1. -** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates from States and UTs (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh). **Note 2. -** In case of recruitment through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange has asked to submit the names.	Essential: (i) 12^{th} class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University; and two years' experience in forest survey or working plan organization or forest resources survey work in State Forest Department; or (ii) Bachelor of Science in Forestry from a recognized University.	No.	Two years.	Fifty percent by promotion failing which by direct recruitment and fifty percent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, which is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Matriculate Fieldman in Pay Level 2 of the Pay Matrix with a minimum of eight years' regular service in the grade; and	Group 'C' Departmental Promotion or Confirmation Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:-	Not applicable.

(ii) Non-Matric Fieldman in Pay Level 2 of the Pay Matrix with eight years' regular service in the grade and subject to their qualifying written and trade test to be specified by the Director General, Forest Survey of India, Dehradun. **Note.** - Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.	1. Director General, Forest Survey of India, Dehradun -Chairperson. 2. Joint Director, Forest Survey of India, Dehradun -Member. 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Forest Survey of India, Dehradun –Member. 4. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	

[E. No. 232414, F.No.9-1/2024-FE]
SULAGNA SAHA, Under Secy. (FE)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 201.—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा वस्त्र समिति नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम वस्त्र समिति (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. वस्त्र समिति नियम, 1965 के, नियम 33 में, उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक में, "पच्चीस लाख" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 31/8/2023/एडी]

ए. बिपिन मेनन, व्यापार सलाहकार

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 27 फरवरी, 1965 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 321 प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार दिनांक 25 मार्च, 2011 की सा.का.नि.256 (E) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 15th December, 2025

G.S.R. 201.—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Textiles Committee Rules, 1965, namely:

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called Textiles Committee (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles Committee Rules, 1965, in Rule 33, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words "twenty five lakhs of", the words "one crore", shall be substituted.

[F. No. 31/8/2023/AD]

A. BIPIN MENON, Trade Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number G.S.R. 321 dated the 27th February, 1965 and lastly amended vide G.S.R. 256 (E) dated the 25th March, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.20 11:14:52 +05'30'